

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
77/17	३४.४१,११ R-11	अमीर पुर खेरी	खण्ड
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
हनुमान सिद्ध	बनाम	रूपाम लील	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12 ⁹ / ₁₀	वकील वादी द्वारा एका वाद अंतर्गत धारा ३४.४१,११ R-11 न्यायालय में दायर किया गया। प्रतिवादी को सूचित किया गया कि यदि वह अपने दावे का सबूत प्रस्तुत नहीं करता तो उसे खर्च का भुगतान करना पड़ेगा। प्रतिवादी को 15/10/17 को पत्रादेश किया गया।	
4 ¹⁰ / ₁₇	वकील वादी प्रतिवादी नं. 1 ला 5 के सम्बन्ध में वाद नामाजि सन्वला गरी, प्रतिवादी 1, 2, 3 को रफ्तार से खर्च अर्थात् कुल मिला ४४० रु का वकालत नामा पत्रादेश 15/11/17 को पत्रादेश किया।	1 ला 5 का रफ्तार
15 ¹¹ / ₁₇	वकालत नामा 37.1 प्रतिवादी नं. 6 को सम्बन्ध में वाद नामाजि सन्वला गरी पत्रादेश 3/11/18 को पत्रादेश किया।	6 वाद नामा
3/18	वकालत नामा 37.1 अर्थात् हेतु सम्बन्ध में वाद नामाजि सन्वला गरी 7-2-18 को पत्रादेश किया।	
7 ² / ₁₈	आदेश पीठाभित्तिका में कार्य में 3 नवंबर 2018 को कार्य में स्थगित होने के कारण 7/18 दिनांक 7-3-18 को पत्रादेश किया। दिनांक 4-4-18	
4 ⁴ / ₁₈	पत्रादेश 1 ला 5 की रफ्तार से जवाब 31/3/18 को अर्थात् फिलहाल के पत्रादेश, नवंबर वकील वादी को दी गयी। वास्तव में जवाब 16/5/2018 को पत्रादेश किया।	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

विवरण

7-4-25

पञ्जाबी प्रेस डेप्युटी वकील वरि व फ्लॉ वरि उदर नदी श्री वकील वरि व फ्लॉ वरि को बीच काट आवाज लगाकर गरी कापयूड इत्या के न्याया. से उदर नदी श्री ऊपर वरि का कास ऊडर हागरी ऊडर परी से कोडर छिदा जाग श्री पञ्जाबी फ्लॉर शुगार इत्या कास लमीत वकील के दाखिल इत्या ए)

✍